रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 20, 2003/फाल्गुन 1, 1924
No. 16] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 20, 2003/PHALGUNA 1, 1924

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 19 फरवरी, 2003

सं. टीएएमपी/83/2002-वीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा 60 टन के रोड़ वे ब्रिजों के लिए किराया प्रभार निर्धारित करने संबंधी विशाखापट्णम पत्तन न्यास के प्रस्ताव का संलग्न आदेशानुसार निपटान करता है।

मामला सं. टीएएमपी/83/2002-वीपीटी

विशाखापट्णम पत्तन न्यास ——— **आवेदक**

आदेश

(फरवरी, 2003 के चौथे दिन पारित)

यह मामला 60 टन के रोड़ वे ब्रिजों के लिए किराया प्रभार निर्धारित करने के बारे में विशाखापट्णम पत्तन न्यास (वीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1 वीपीटी ने उल्लेख किया है कि 4 जून, 2001 से प्रभावी वर्तमान दरमान में वीपीटी के 60 टन रोड़ ब्रिज का इस्तेमाल करके पोतमाल तोलने के प्रभार विनिर्दिष्ट नहीं हैं। परंतु इस मद के लिए पिछले दरमान में दरें निर्धारित की गई थीं। इसलिए, वीपीटी ने प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि पिछले सामान्य संशोधन के समय प्राधिकरण ने अन्य उपस्कर के मामले में संशोधन पूर्व दरों पर 15% वृद्धि को अनुमोदन दिया था, उसी के अनुसरण में 60 टन के रोड़ वे ब्रिज की आपूर्ति की संशोधन पूर्व दरों में 15% वृद्धि प्रदान करें।

2.2 वीपीटी ने कहा है कि दरमान में विशिष्ट दर के अभाव में इस प्राधिकरण द्वारा दरों को अंतिम रूप दिए जाने तक पत्तन को तदर्थ आधार पर प्रस्तावित दर वसूल करने की अनुमति देने के इस प्राधिकरण के सामान्य अंगीकरण आदेश के अनुसरण में वीपीटी तदर्थ आधार पर प्रस्तावित दर पहले ही लागू कर रहा है।

3. अपनाई गई विचार-विमर्श प्रक्रिया के अनुसार, संबंधित पत्तन उपभोक्तओं/पत्तन उपभोक्ताओं की प्रतिनिधि संस्थाओं से विचार-विमर्श किया गया था। विशाखापट्णम कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन ने अपनी टिप्पणियों में कहा है कि यह प्रस्ताव तर्कसंगत है और उसे इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

4. इस मामले की संयुक्त सुनवाई 21 जनवरी, 2003 को वीपीटी परिसर में आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में, सभी उपस्थित उपभोक्ताओं ने वीपीटी के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन किया है।

5. वीपीटी के प्रस्ताव में, विभिन्न अन्य उपस्कर के लिए पिछले सामान्य संशोधन के समय प्राधिकरण ने 15% वृद्धि को अनुमोदन दिया था, उसी के अनुसरण में रोड़ वे ब्रिजों के लिए प्रशुल्कों संबंधी प्रविष्टि को संशोधन पूर्व दरों में 15% वृद्धि के साथ पुनः शामिल करने की मांग की गई है। चूंकि सभी उपभोक्ताओं ने इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन किया है, इसलिए यह प्राधिकरण वीपीटी के इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता है।

6. परिणामस्वरूप, समग्र विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण वीपीटी के 60 टन रोड़ वे ब्रिजों को इस्तेमाल करने के लिए निम्नलिखित दरें अनुमोदित करता है :—

(i) प्रति ट्रक (लदा हुआ अथवा खाली)	11.50 रुपए
(ii) प्रति ट्रेलर (खाली)	11.50 रुपए
(iii) प्रति ट्रेलर (लदा हुआ)	23.00 रुपए

7. वीपीटी को अपने दरमान में यह अनुमोदित दरें उचित प्रकार से शामिल करने का निदेश दिया जाता है।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/02-असाधारण]